कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक-3139/12–1, दिनांकः मसूरी, 28/01/2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम,
ओ0एन0जी0सी0 अस्पताल के सामने,
कमलानगर, देहरादून(उत्तराखण्ड)।

विषयः– जनपद–देहरादून में विकास खण्ड सहसपुर की गल्जवाड़ी पेयजल योजना से के निर्माण हेतु वांछित कुल 0.767है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–0.158है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम को 15 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या –3821/वन भूमि /65, दिनाक 24–12–2019

महोदय,

विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव की दो प्रति (मूल में) दिनांक 15–01–2020 तथा आनलाईन प्रस्ताव 23–01–2020 को इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई। प्राप्त प्रस्ताव एवं आनलाईन प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से जॉच /परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से कतिपय कमियां पायी गयी जिनके निराकरण हेतु आनलाईन प्रस्ताव मय हार्ड प्रति (मूल में) इस आशय से लौटाई जा रही है कि प्रस्ताव में निम्नानुसार वांछित कमियों का निराकरण करते हुए आनलाईन प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को मय हार्ड प्रति के उपलब्ध करने का कष्ट करें।

1. आनलाईन प्रस्ताव के भाग–I के पैरा B-2.3 (Villagewise breakup) एंव B-2.4 (Component wise breakup) में दर्ज क्षेत्रफल में अन्तर है। कृपया आनलाईन प्रस्ताव के भाग–I के पैरा B-2.3 (Village wise breakup) एंव B-2.4 (Component wise breakup) में दर्ज क्षेत्रफल में को सही अंकित किया जाय।
2. आनलाईन प्रस्ताव के भाग–I के पैरा D (i) में अपलोड Copy of note containing Justification for locating the project in forest land सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त भाग–I के पैरा D (i) में यथास्थान अपलोड किया जाय।

संलग्न :– प्रस्ताव की दो प्रति (मूल में)

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

OIC

Scanned by CamScanner